कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/समान परीक्षा(7)/22402/2025–26/ दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– राज्य स्तरीय समान परीक्षा के अन्तर्गत आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा 2025–26 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक : 27.10.2025 (राजकाज संदर्भ संख्या : 18462575)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य स्तरीय समान परीक्षा के आयोजन के संबंध में जारी संदर्भित दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा 2025–26 की समय–सारणी संलग्न कर अग्रांकितानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(अ) समय सारणी :–

- समान परीक्षा वर्ष 2025–26 की वार्षिक परीक्षा दिनांक : 07.03.2026 से 19.03.2026 तक आयोजित की जायेगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2025–26 की वार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक : 07.03.2026 से 19.03.2026 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जायेगी। जो भी विषय उक्त समयसारणी में उल्लेखित नहीं हैं, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।
- समान परीक्षा वर्ष 2025–26 की वार्षिक परीक्षा से सम्बन्धित विद्यालय स्तर की परीक्षायें व प्रायोगिक विषयों की परीक्षायें उक्त समय–सारिणी में उपलब्ध अन्तराल दिवसों पर आयोजित की जायेगी।
- प्रश्न पत्र वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर के द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे, जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है।

(ब) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :–

- प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी सन्देश/गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जायेंगे।
- निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को सम्बन्धित यूसीईईओ/पीईईओ के पास रखा जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर प्रश्न पत्र यथा संभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रि कालीन ड्यूटी लगायी जाना सुनिश्चित किया जावें।

* सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधीकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईईओं/यूसीईईओ विद्यालयों में।
* प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईईओ को संवेदशील प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
* सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रभारी/केन्द्राधीक्षक बनाया जायेगा।
* वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/डाइट प्राचार्य द्वारा उड़नदस्ते गठित कर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जावें।
* परीक्षा आयोजन के दौरान जिला/ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी सम्बन्धित पुलिस थानों में रखवाया जायेगा।

उक्तानुसार समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार, समयबद्ध रुप से गोपनीय व शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा/गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जावें। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों की पूर्णतः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :— राज्य स्तरीय वार्षिक परीक्षा 2025—26 की समय—सारणी।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई—मेल)।
5. समस्त जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को प्रश्नपत्रों को पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था हेतु (जरिये ई—मेल)।

6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिये ई–मेल)।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन किये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर को वांछित कार्यवाही हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा (जरिये ई–मेल)।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई–मेल)।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
14. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।
15. समस्त संस्था–प्रधान।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.:
19464796

राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना
वार्षिक परीक्षा 2025–26
समय विभाग–चक्र

क्र.सं.	दिनांक	पारी एवं दिनांक	कक्षा 9	कक्षा 11
1	07.03.2026 शनिवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	अंग्रेजी	आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत
2	08.03.2026 रविवार (अवकाश)			
3	09.03.2026 सोमवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	हिन्दी	अंग्रेजी अनिवार्य
4	10.03.2026 मंगलवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	गणित	हिन्दी अनिवार्य
5	11.03.2026 बुधवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	सामाजिक विज्ञान	कृषि जीव विज्ञान / जीव विज्ञान / राजनीति विज्ञान / टंकण – अंग्रेजी
6	12.03.2026 गुरूवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	पंजाबी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी	अर्थशास्त्र
7	13.03.2026 शुक्रवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	विज्ञान	लोक प्रशासन
8	14.03.2026 शनिवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		हिन्दी साहित्य / उर्दू साहित्य / सिन्धी साहित्य / भौतिक विज्ञान / लेखाशास्त्र / पंजाबी साहित्य / राजस्थानी साहित्य
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	चित्रकला / टंकण – हिन्दी
9	15.03.2026 रविवार (अवकाश)			
10	16.03.2026 सोमवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		कृषि रसायन / रसायन विज्ञान / व्यावसायिक अध्ययन / इतिहास
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा	कम्प्यूटर विज्ञान
11	17.03.2026 मंगलवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		गृह विज्ञान
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)	राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परम्परा	भूगोल
12	18.03.2026 बुधवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		ऐच्छिक गणित
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)		संस्कृत साहित्य / कृषि विज्ञान
13	19.03.2026 गुरूवार	प्रथम पारी (प्रातः 08:30 से अपराह्न 11:45 तक)		अंग्रेजी साहित्य
		द्वितीय पारी (अपराह्न 01:00 से सायं 04:15 तक)		समाजशास्त्र

– आवश्यक निर्देश –

1 प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

2 संस्था प्रधान प्रश्न पत्रों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करावें।

3 यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा, परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद आगामी कार्य दिवस वाली तिथि में करवाई जावेगी।

4 जो विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाये गये हैं उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेंगे।

5 कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय के 30 अंक का सतत् मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट एवं 40 अंक की वार्षिक लिखित परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी। इस विषय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाती है।